प्रेषक,

आनन्द कौशिक,
अनु सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

निदेशक,
नागरिक उड्डयन,
उ0प्र0 लखनऊ।

नागरिक उड्डयन अनुभाग लखनऊ : दिनांक : 13 सितम्बर, 2023

विषय: राजकीय हेलीकाप्टर बेल 412 EP VT-UPO के 02 मेन रोटर ब्लेड पार्ट नं0-412-015-300-119 सीरियल नं0 A-4166 & A4154 के रिपेयर/ओवरहाल कराए जाने की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति।

महोदय

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-124/ना0उ0नि0/इंजी/(यू0पी0ओ0)/13-आई/2023 दिनांक 14 अगस्त, 2023 एवं शासनादेश संख्या-66/2023/663/छप्पन-2023-153/2000 दिनांक 01 जून, 2023 का कृपया सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

2- शासनादेश संख्या-66/2023/663/छप्पन-2023-153/2000 दिनांक 01 जून, 2023 के द्वारा राजकीय हेलीकाप्टर बेल 412 EP VT-UPO के 02 मेन रोटर ब्लेड पार्ट नं0-412-015-300-119 सीरियल नं0 A-4166 & A4154 के रिपेयर/ओवरहाल कराए जाने की प्रशासकीय स्वीकृति प्रदान की गई है। उक्त स्वीकृति के क्रम में प्रश्नगत पुर्जों के परीक्षणोंपरान्त हेलीकाप्टर निर्माता फर्म मेसर्स Bell Textron Asia Pte. Ltd, Singapore के ई-मेल द्वारा उपलब्ध कराए गए Proforma Invoice No. 92198748 दिनांक 02-08-2023 के अनुसार मेन रोटर ब्लेड पार्ट नं0-412-015-300-119 Serial No. A-4166 के रिपेयर/ओवरहाल पर USD 82290.00 एवं मेन रोटर ब्लेड पार्ट नं0-412-015-300-119 Serial No. A-4154 के रिपेयर/ओवरहाल पर USD 89343.00 अर्थात् कुल यू0एस0 डालर 171633.00 जो कि भारतीय मुद्रा में रू0 84 प्रति यू0एस0 डालर की विनिमय दर से रू0 1,44,17,172/- का व्यय होगा।

3- उपर्युक्त के परिप्रेक्ष्य में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि श्री राज्यपाल राजकीय हेलीकाप्टर बेल 412 EP VT-UPO के 02 मेन रोटर ब्लेड पार्ट नं0-412-015-300-119 सीरियल नं0 A-4166 & A4154 के रिपेयर/ओवरहाल हेलीकाप्टर निर्माता फर्म मेसर्स Bell Helicopter Textron Asia Pte. Ltd, Singapore से कराये जाने पर निर्माता फर्म के ई-मेल द्वारा उपलब्ध कराए गए Proforma Invoice No. 92198748 दिनांक 02-08-2023 के

2/....

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

अनुसार मेन रोटर ब्लेड पार्ट नं0-412-015-300-119 Serial No. A-4166 के रिपेयर/ओवरहाल पर USD 82290.00 एवं मेन रोटर ब्लेड पार्ट नं0-412-015-300-119 Serial No. A-4154 के रिपेयर/ओवरहाल पर USD 89343.00 अर्थात् कुल यू0एस0 डालर 171633.00 जो कि भारतीय मुद्रा में रू0 84 प्रति यू0एस0 डालर की विनिमय दर से रू0 1,44,17,172/- होगा तथा Reserve Bank of India की Guidelines के अनुसार एक लाख यू0एस0 डालर से अधिक का भुगतान साख पत्र के (Letter of Credit) माध्यम से किए जाने पर उपरोक्त धनराशि रू0 1,44,17,172/- का 10% अर्थात रू0 14,41,717/- तथा प्रश्नगत पुर्जो के आयात हेतु निदेशालय से सम्बद्ध कस्टम हाउस एजेन्ट मेसर्स जे0बी0के0 लाजिस्टिक्स, नई दिल्ली को इसके आयात पर अनुषांगिक व्यय (कस्टम ड्यूटी, जी0एस0टी0, फ्रेट चार्जेज इत्यादि) के रूप में रू0 29,50,000/- अर्थात प्रश्नगत पुर्जों के रिपेयर/ओवरहाल पर होने वाले कुल व्यय रू0 1,88,08,889/- (रुपये एक करोड़ अट्ठासी लाख आठ हजार आठ सौ नवासी) मात्र के व्यय की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति तथा अग्रिम आहरण की स्वीकृति निम्नलिखित शर्तो एवं प्रतिबन्धों के अधीन प्रदान करते है:-

(1) वित्तीय नियम संग्रह खण्ड-5 भाग-1 के प्रस्तर-162 में दी गयी व्यवस्था के अनुसार जो सरकारी कर्मचारी/अधिकारी धन को आहरित करेगा, वही उसके समायोजन हेतु भी जिम्मेदार होगा तथा यदि कोई क्षति होती है, तो उसके लिये भी संबंधित सरकारी कर्मचारी/अधिकारी जिम्मेदार होगा।

(2) निदेशक, नागरिक उड्डयन द्वारा वित्तीय वर्ष में स्वीकृत समस्त अग्रिम धनराशि का समायोजन वित्तीय वर्ष की समाप्ति तक अवश्य कर लिया जायेगा तथा प्रश्नगत धनराशि का समायोजन कराते हुये महालेखाकार के पुस्तांकित आकड़ों में भी समायोजन करा दिया जाए।

(3) निदेशक, नागरिक उड्डयन द्वारा प्रस्तावित धनराशि को आहरित कर किसी बैंक खाते में नहीं रखा जायेगा। अवमुक्त धनराशि का आहरण एवं व्यय आवश्यकतानुसार एवं नियमानुसार किया जायेगा।

(4) निदेशक, नागरिक उड्डयन यह भी सुनिश्चित करेंगे कि प्रश्नगत कार्य किसी अन्य कार्य योजना में सम्मिलित नहीं है तथा इस हेतु पूर्व में किसी अन्य योजना/स्रोत से धनराशि स्वीकृत नहीं की गयी है।

(5) बजट प्राविधान के सापेक्ष धनराशि की उपलब्धता का दायित्व निदेशक, नागरिक उड्डयन का होगा। वित्तीय स्वीकृति का आदेश निदेशक, नागरिक उड्डयन बजट प्राविधान के सापेक्ष अवशेष धनराशि की उपलब्धता की स्थिति में ही निर्गत किया जायेगा।

(6) प्रश्नगत वित्तीय स्वीकृति जिस कार्य/मद हेतु की जा रही है उसका उपयोग नियमानुसार उसी कार्य/मद हेतु किया जायेगा।

3/....

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

(7) निदेशक, नागरिक उड्डयन यह सुनिश्चित करेंगे कि प्रस्तावित कार्यो की द्विरावृत्ति नहीं हो रही है।

(8) निदेशक, नागरिक उड्डयन द्वारा वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय-ज्ञाप दिनांक 17 मार्च, 2023 में उल्लिखित दिशा निर्देशों का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(9) अवमुक्त धनराशि का आहरण एवं व्यय आवश्यकतानुसार एवं नियमानुसार किया जायेगा।

4- उपर्युक्त मद पर होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2023-24 के आय-व्ययक में अनुदान संख्या-38 के अधीन पूँजीगत लेखा के लेखा शीर्षक "5053-नागर विमानन पूंजीगत परिव्यय-80- सामान्य-800-अन्य व्यय-04- हेलीकाप्टर / वायुयान की विशेष मरम्मत की मानक मद-42- अन्य व्यय'' के नामे डाला जायेगा।

5- यह आदेश वित्त विभाग के अशा0 संख्या-ई-7-149/दस-2023-24 दिनांक 08 सितम्बर, 2023 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किए जा रहे हैं।

भवदीय,
आनन्द कौशिक
अनु सचिव

संख्या: 93/2023/1188(1)/छप्पन-2023-तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

(1) महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)-प्रथम, उ0प्र0, प्रयागराज।
(2) उप महालेखाकार/ई0एस0-III, आडिट भवन, टीसी-35-वी-1, विभूतिखण्ड, गोमतीनगर लखनऊ-10
(3) मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
(4) वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-7
(5) गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
आनन्द कौशिक
अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।